जनपद - संतकबीरनगर　　　　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　　　　दिनाँक 03.01.2025

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम **में थाना बखिरा पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता 1. राजेन्द्र पुत्र मुन्नू निवासी इमरडीहा थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर 2. अजय पुत्र धर्मराज निवासी इमरडीहा थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री शम्भू राम, का0 दीपक कुमार।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 100 वाहनों से 1,04,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 03.01.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 100 वाहनों से 1,04,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

साइबर क्राइम थाना, जनपदीय सोशल मीडिया सेल व कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा डिजिटल वॉरियर्स कार्यशाला का आयोजन कर साइबर क्राइम के बारे मे किया गया जागरुक

आज दिनांक 03.01.2025 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना ***श्री आलोक सोनी*** व प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री सतीश कुमार सिंह* के नेतृत्व मे हीरालाल रामनिवास इंटर कालेज खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर में अध्यापकगण व छात्र / छात्रों को डिजिटल वॉरियर्स बनने के लिए प्रेरित किया गया तथा डिजिटल वॉरियर्स के क्या काम होंगे जैसे अफवाहों को रोकना, अफवाहों को खंडन करना, सोशल मीडिया पर ऐसे फेक न्यूज़ जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं उनका खंडन करना, सोशल मीडिया के किसी भी सूचना को बिना जाने समझे शेयर ना करना पुलिस के कार्यों को प्रोत्साहित करना। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक द्वारा जारी किए गाइडलाइन के अनुसार डिजिटल वॉरियर्स बनाए जा रहे हैं इसके साथ-साथ साइबर क्राइम जागरूकता जिसमें खास तौर से डिजिटल हाउस अरेस्ट जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया कि हम कैसे साइबर क्राइम से इस नए प्रकार के साइबर क्राइम से बच सके इसके साथ ही साथ नारी सशक्तिकरण अभियान व महिला संबंधी अपराधों के रोकथाम हेतु जागरूकता कार्यक्रम का

आयोजन किया गया जिसमें उपस्थित सभी छात्र / छात्राओं को सशक्तिकरण संबंधित बातों को बताते हुए मिशन शक्ति फेज 5 कार्यक्रम के अंतर्गत कानून की जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत किए गए विभिन्न हेल्पलाइन नंबर जैसे- 1090,1076, 1098, 181, 112, 102, 108, 1930 व थाने का सी0यू0जी0 नंबर 9454404316 को संकट के समय में उपयोग करने हेतु बताया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के तहत 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 03.01.2024 को ***ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर*** द्वारा *थाना बखिरा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 205/2001 धारा 3/5ए/8 सी0एस0 एक्ट प्रतिवादी चनई कसाई पुत्र साधू कसाई निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के मामलें में आदेश पारित किया गया कि जुर्म स्वीकार करने पर अभियुक्त चनई कसाई पुत्र साधू कसाई को मुकदमा उपरोक्त में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा एवं धारा 3/5ए/8 सी0एस0 एक्ट के अपराध हेतु 1000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर 30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।